रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228450
CG-DL-E-23072021-228450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

सं. 62/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 505(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 के निम्नलिखित विनियमनों में संशोधन करती है, यथा:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ -** (1) ये विनियमन कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग (अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2021 कहे जाएंगे।

   (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 में, -

(i) विनियमन 8 के पश्चात, निम्नलिखित विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**8क. लाइसेंस को वापस करना**. - (1) एक लाइसेंसधारी कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग

विनियम, 2018 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस को सीमाशुल्क के प्रदान आयुक्त या आयुक्त, जिसके द्वारा भी लाइसेंस जारी किया गया हो, जैसा भी मामला हो, को लिखित अनुरोध करके लाइसेंस वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं यदि,–

(क) लाइसेंसधारी ने अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार देय सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) लाइसेंसधारी के खिलाफ किसी भी अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।";

(ii) विनियमन 9 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**9. लाइसेंस की वैधता की अवधि**. - (1) कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस तब तक वैध होगा जब तक कि विनियमन 8 का के उप-विनियमन (2) या विनियमन 14 के तहत प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इसे वापस या निरस्त न किया गया हो।

(2) उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए यदि लाइसेंसधारी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता हो तो लाइसेसं को वैध नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - शब्द 'निष्क्रिय' का संदर्भ एक ऐसे कस्टम्स ब्रोकर से लिया जाएगा, जिसने एक वर्ष की अवधि के दौरान सीमाशुल्क संबंधी कोई लेन-देन न किया हो, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं होगी जिस दौरान विनियमन 16 के अंतर्गत उसका लाइसेंस निलंबित रहा हो।

(3) उप-विनियमन (2) के अंतर्गत उनके लाइसेंस को अवैध समझ लिए जाने के उपरांत विनियमन 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त लाइसेंसधारी द्वारा फॉर्म- I में आवेदन करने पर, स्वयं को यह समाधान होने के उपरांत कि आवेदक विनियमन 7 के अंतर्गत लाइसेंस की मंजूरी के लिए अन्यथा पात्र है तथा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर सीमाशुल्क ब्रोकर द्वारा पन्द्रह हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के उपरांत समाप्ति की तिथि से लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है";

(iii) फॉर्म-ए में, उद्घोषणा के अतंर्गत, भाग (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(घ) अधोहस्ताक्षरी/यह व्यक्ति जो कि मेरे द्वारा तैनाती के लिए प्रस्तावित है वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के किसी भी प्रावधानों के तहत दंडित, दोषी या अभियोजित किया गया/नहीं किया गया है।";

(iv) फॉर्म-एच्च के पश्चात, निम्नलिखित फॉरम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फॉर्म - I

[विनियमन 9 के उप-विनियमन (3) को देखें]

कस्टम्स ब्रोकर द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त,

पता

1.	कस्टम्स ब्रोकर का नाम:-	
2.	कस्टम्स ब्रोकर का पूरा पता:-	
3.	कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस नम्बर और इसे जारी करने वाला कस्टम्स हाउस:-	

4.	क्या आवेदक द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, नियमों या विनियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार को देय सभी शुल्कों का भुगतान किया गया है? (हां/नहीं)	
5.	क्या विनियमन 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बॉण्ड और रक्षा शुल्क अभी भी वैध है? (हां/नहीं)	
6.	यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है तो क्या ऐसे भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों जो कि वास्तविक रूप से कस्टम्स ब्रोकर के कार्य में संलग्न हैं, के नाम और परमानेंट अकाउन्ट नम्बर्स (पैन) में कोई परिवर्तन है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।	
7.	नवीनीकरण का कारण:-	
	उद्घोषणा:	
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा(………)/हिन्दी की जानकारी है।	
(ख)	फर्म या कंपनी जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी तैनात किया गया है उनके पास कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या इन विनियमनों के अंतर्गत कस्टम्स हाउस एजेंट या कस्टम्स ब्रोकर का पहले से ही लाइसेंस है और यह लाइसेंस न तो रद्द किया गया है या न ही निलंबित किया गया है।	
(ग)	अधोहस्ताक्षरी/यह व्यक्ति जो कि मेरे द्वारा तैनाती के लिए प्रस्तावित है वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के किसी भी प्रावधानों के तहत दंडित, दोषी या अभियोजित किया गया/नहीं किया गया है।	

मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 पढ़ लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर ”.**

[फा. सं. 520/07/2013-सीमा शुल्क VI (Vol.III)]

केविन बोबन, अवर सचिव

नोट : प्रधान विनियमन सं. 41/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. सं. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2021

No. 62/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Customs Brokers Licensing (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Broker Licensing Regulations, 2018, -

(i) after regulation 8, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**8A. Surrender of License**. - (1) A licensee may surrender the license granted under Customs House Agents Licensing Regulations, 1984, the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004, the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 or the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 through a written request to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs who has issued the license, as the case may be.

(2) On receipt of the request under sub-regulation (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may revoke the license if, –

(a) the licensee has paid all dues payable to the Central Government under the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder; and

(b) no proceedings are pending against the licensee under the Act or the rules or regulations made thereunder.";

(ii) for Regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**9. Period of validity of a license**. - (1) A license granted under Customs House Agents Licensing Regulations, 1984, the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004, the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 or the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 shall be valid unless and until revoked in terms of provisions under sub-regulation (2) of regulation 8A or regulation 14.

(2) Notwithstanding anything contained above, the license shall be deemed invalid, if the licensee is found to be inactive for a period of one year.

Explanation.-The term 'inactive' refers to a Customs Broker who does not transact any business pertaining to Customs during a period of one year excluding the period for which a license has been suspended under regulation 16.

(3) Subject to the provisions of regulation 7, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may, on an application made by the licensee in Form - I, after his license has been deemed invalid under sub-regulation (2), renew the license from the date of expiration, after satisfying himself that the applicant is otherwise eligible for grant of license under regulation 7 and upon payment of fee of fifteen thousand rupees by the Customs Broker within one month of the date of receipt of application.";

(iii) in Form - A, under Declaration, for part (d), the following shall be substituted, namely: -

"(d) The undersigned/the person proposed to be employed by me have been/have not been penalised, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and the Finance Act, 1994, the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017) and Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).";

(iv) after Form - H, the following form shall be inserted, namely: -

"FORM - I

[see sub-regulation (3) of regulation 9]

Application by Customs Broker to renew license

To,

The Principal Commissioner/Commissioner of Customs,

Address

1.	Name of the Customs Broker :-	
2.	Full address of the Customs Broker :-	
3.	Customs Broker License No. and Custom House of issue :-	
4.	Has the applicant paid all dues payable to the Central Government under the provisions of the Customs Act, rules or regulations made thereunder? (Yes/No)	
5.	Whether bond and furnishing of security executed under regulation 8 is still active? (Yes/No)	
6.	Is there a change in the name and Permanent Account Numbers (PAN) of partner/partners or director/directors who will actually be engaged in the work as Customs Broker, in case the applicant is a firm or a company? (Yes/No) If Yes, details thereof.	
7.	Reason for renewal:-	
	Declaration:	
(a)	I have working knowledge of English/local language (………)/Hindi.	
(b)	The firm or company by whom the undersigned is employed have earlier held a Customs House Agent or Customs Broker's License under the Customs House Licensing Regulation, 1984, the Customs House Licensing Regulation, 2004 or the Customs House Licensing Regulation, 2013 or these regulations and not cancelled or suspended.	
(c)	The undersigned/the person proposed to be employed by me have been/have not been penalised, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Excise Act, 1944, (1 of 1944), and the Finance Act, 1994, the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017) and Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).	

I/We hereby affirm that I/we have read the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and agree to abide by them.

Date : **Signature of applicant ".**

[F. No. 520/07/2013-Cus.VI (Vol.III)]

KEVIN BOBAN, Under Secy.

Note : The principal regulation No. 41/2018-Customs (N.T.), dated the 14th May, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 451(E), dated the 14th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.23 22:53:05 +05'30'